

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट

जयपुर, दिनांक 21 OCT 2021

- : आदेश :-

हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव, 2021 के लिए मतदान दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को सम्पन्न होंगे। अतः भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के ऐसे समस्त अधिकारी / कर्मचारी जो हरियाणा राज्य 46-Ellenabad विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) / विभिन्न विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ आफ प्रोटोकाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. संचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 4986 दिनांक 5.10.2021 के क्रम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिवगण।
11. समस्त संम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर बेंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त निगम / मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक राजस्थान।
18. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक 4535 दिनांक 4.10.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
19. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
20. रक्षित पत्रावली



डिप्टी चीफ आफ प्रोटोकाल

नामकी क्रमांक 6295 402
5-05/10/21
राजस्थान प्रशासन
राज्य शाखा, स्टेट मॉडल
एवं नगरिक सुदृश्य विभाग

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव 2021 - मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि जहाँ मतदान हो रहा है उस क्षेत्र के मतदाता जो अन्य राज्य अथवा क्षेत्र में नियोजित हैं उन्हें मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश दिया जावे। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 01.10.2020 की छायाप्रति संलग्न है।

हरियाणा राज्य के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 4534 दिनांक 04.10.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव, 2021 के लिए मतदान दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न होंगे। अतः राजस्थान राज्य में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो हरियाणा राज्य की 46-Ellenabad विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 का संवैतनिक अवकाश दिया जावे।

अतः सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पत्र दिनांक 04.10.2021 एवं आयोग के पत्र दिनांक 01.10.2020 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स)/विभिन्न विभागों/बोर्ड/उपक्रमों/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को मतदान दिवस दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 का संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु प्राधिकृत कराये जाने के लिए आदेश प्रसारित कराने का श्रम करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(प्रवीण मुस्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।
4/10

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/4986
जयपुर दिनांक :- 05,10,2021

प्रतिलिपि:- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

B.
6/10/21
JS, GAD

AS-2

5/10/21
Urgent -
Yogity

06/10/21

403

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव 2021 - मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि जहाँ मतदान हो रहा है उस क्षेत्र के मतदाता जो अन्य राज्य अथवा क्षेत्र में नियोजित हैं उन्हें मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश दिया जावे। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 01.10.2020 की छायाप्रति संलग्न है।

हरियाणा राज्य के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 4534 दिनांक 04.10.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि हरियाणा राज्य के विधानसभा उप चुनाव, 2021 के लिए मतदान दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न होंगे। अतः राजस्थान राज्य में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो हरियाणा राज्य की 46-Elleabad विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता है, को मतदान दिवस दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 का संवैतनिक अवकाश दिया जावे।

अतः सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पत्र दिनांक 04.10.2021 एवं आयोग के पत्र दिनांक 01.10.2020 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि राज्य के समस्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स)/विभिन्न विभागों/बोर्ड/उपक्रमों/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को मतदान दिवस दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 का संवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करायें जाने के लिए आदेश प्रसारित कराने का श्रम करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(प्रवीण मुस्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

4/10

प्रमुख शासन सचिव,

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/4986

जयपुर दिनांक :- 05,10,2021

प्रतिलिपि:- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

404



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

CHIEF ELECTORAL OFFICER HARYANA

No. 324 (41)/Paid Holiday/Bye Elec.-2021/2AE- 4535 Dated: 04.10.2021

To

The Chief Electoral Officer-Uttar Pradesh, NCT Delhi,
Rajasthan, Punjab, Himachal Pradesh and U.T., Chandigarh.

Subject: - Conduct of Bye-Elections to 03 Parliamentary and 30 Assembly
Constituencies invarious States- Grant of paid holiday to employees on the
day of Poll-reg.

Sir,

On the subject cited above, I am directed to forward herewith a copy of
the Election Commission of India's letter No: 78/2021/EPS, dated 01.10.2021 and the
provision made under Section-135B of the R.P. Act, 1951 which provide grant of paid
holiday on the day of poll to every person employed in any business, trade, industrial
undertakings or any other establishment. I am further directed to inform you that as
per the schedule of the current Bye-election to 46-Ellenabad Assembly Constituency of
this State, the poll will take place on **30.10.2021 (Saturday) which is not a public
holiday under Section 25 of the Negotiable Instrument Act, 1881.**

Therefore, you are requested to kindly get issue notification/order in this
regard at the earliest, so that the voters of Haryana State working in your States are
able to cast their vote. A copy of the order/notification issued may be sent to this
office through email. Email ID of this office is hry_elect@yahoo.com.

Yours faithfully,

Asstt. Chief Electoral Officer,
for: Chief Electoral Officer, Haryana.

Endst. No. 324 (41)/Paid Holiday/Bye Elec.-2021/2AE- 4535 Dated: 04.10.2021
A copy with a copy of its enclosure is forwarded to the Deputy
Commissioners-cum-District Election Sirsa for their information and necessary action.

Asstt. Chief Electoral Officer,
for: Chief Electoral Officer, Haryana.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

TEL: 011-23052246
Fax 011-23052001
Website: www.eci.gov.in

निर्वाचन भवन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001.
Dated: 1st October, 2021

78/2021-EPS

To

1. The Secretary to the Govt. of India, M/o Personnel Public Grievances & Pensions, Department of Personnel and Training North Block, New Delhi.
2. The Chief Secretaries of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Telangan and West Bengal.
3. The Advisor to the Administration of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.
4. The Chief Electoral Officers of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Telangana, West Bengal and UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Subject:- Conduct of Bye –Elections to 03 Parliamentary and 30 Assembly Constituencies in various States– **Grant of paid holiday to employees on the day of poll – Regarding**

Sir/Madam,

The Commission has announced the Bye –Elections to fill vacancies in three (3) Parliamentary Constituencies and thirty (30) Assembly Constituencies in various States vide its Press Note dated 28th September, 2021, which is available on Commission's website <http://eci.gov.in>, under the head "Press Releases" at URL <https://eci.gov.in/files/file/13715-schedule-for-bye-elections-in-parliamentaryassembly-constituencies-of-various-states-reg/> The date of poll for the above mentioned election has been fixed on **30.10.2021 (Saturday)**.

2. In this regard, I am directed to invite your attention to Section 135B of the Representation of the People Act, 1951 which provides for the grant of paid holiday to the employees on the day of poll. The Section 135B is reproduced below:-
"135B. Grant of paid holiday to employees on the day of poll.